UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification No.538/XXX-4-2015-9(1)/2008 dated April 9, 2015

NOTIFICATION

No.2/2015/538/XXX-4-2015-9 (1)/2008
Lucknow: Dated April 9, 2015

In exercise of powers under sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no 10 of 1897), the Governor is pleased to direct the Sate Transport Authority to fix the following rates of fare for Auto Rickshaw operating under the Reciprocal Common Transport (Contract Carriage) Agreement, 2008 held between the adjoining States (Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh) of National Capital Region:-

1	With the Charges of Rs 0.50 for GPS/GPRS/Control Center and on demand auto rickshaw provider.	Rs 25/- for first fall of 02 Kilometer (upon downing the meter) and thereafter Rs. 8/- per Kilometer for every additional Kilometer
2	Night Charges	25% of the fare (11:00 PM to 05:00 AM)
3	Waiting Charges	Rs 30/- per hour or part thereof (Subject to a minimum of 15 minutes stay)
4	Luggage	Rs. 7.50 shall be charged as extra luggage charges whereas the driver/operator shall not charge any money for a shopping bag or a small suitcase.

By Order,

Kumar Arvind Singh Deo
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-2/2015/538/तीस-4-2015-9(1)/2008
लखनऊ: दिनांक: 9 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 67 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक राज्य (दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश) के मध्य हुए पारस्परिक सामान्य परिवहन (ठेका गाड़ी) समझौता, 2008 के अधीन संचालित होने वाले आटो रिक्शा के किराये की निम्नलिखित दरें निर्धारित करने हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देश देते हैं:-

1	जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस./नियंत्रण कक्ष तथा मॉग पर आटो रिक्शा उपलब्ध कराने वाले केन्द्र के लिए 0.50 रूपये के प्रभारों सहित	प्रथम 02 किलोमीटर के लिए 25 रूपये (मीटर डाउन करके) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8.00 रूपये प्रति किलोमीटर
2	रात्रि प्रभार	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11 बजे से प्रात: 05 बजे तक)
3	प्रतीक्षा प्रभार	प्रति घंटा या इसके किसी भाग के लिए 30.00 रूपये (न्यूनतम 15 मिनट तक ठहरने के अध्यधीन)
4	सामान प्रभार	7.50 रूपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल किये जायेंगें जबकि चालक/आपरेटर किसी शापिंग बैग या छोटे सूटकेस के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा।

आज्ञा से,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2015/538(1)/तीस-4-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4 कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-2/2015/538(2)/तीस-4-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- विधायी अनुभाग-1
5- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।